तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2006 / 1448 / चित्तौड़गढ** **रतन देवी बनाम मंदिर श्री जवान स्वरूपजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/01/26	**एकल–पीठ** **श्री केसर लाल मीणा, सदस्य** ––––– **उपस्थित :** श्री के.के. पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया/निगरानीकर्ता। अप्रार्थी की ओर से उप राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। ––––– **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 90/2005 में पारित निर्णय दिनांक 17–02–2006 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके माध्यम से जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ द्वारा पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/12–12(53)/ 05/1132 दिनांक 15–07–05 को यथावत् रखा गया। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया रतन देवी ने जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–07–2005 प्र.सं. राजस्व/12–12(53)05/1132 के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा–225 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ के समक्ष पेश की गई, जिसे निर्णय दिनांक 17–02–2006 द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थिया ने यह निगरानी मण्डल में पेश की है। 3– उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थिया ने निवेदन किया कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ ने उपखण्ड अधिकारी, कपासन के प्रतिवेदन पर ग्राम आकोला में स्थित मंदिर श्री जवान स्वरूप जी बिहारी स्थान देह के खाते की भूमि कुल खसरा 33 क्षेत्रफल 4.49 है0 को प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.6 (17) प्र.सु./अनु–3/2002 दिनांक 27–05–2002 के अंतर्गत राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अलावा अर्थात् जो अराजकीय मंदिर/पूजा स्थल स्थित है उनकी उचित व्यवस्था हेतु तहसील स्तर पर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित समिति को उक्त भूमि एवं उन पर स्थित परिसंपत्तियों का कब्जा प्राप्त कर राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 27–05–2002 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप प्रबन्धन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, जिससे व्यथित होकर प्रार्थिया ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मय धारा–96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की, किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थिया की अपील को खारिज कर दिया। वादग्रस्त भूमि वर्षो से प्रार्थिया के पूर्वजों की	

खातेदारी में होकर कब्जे काश्त में है, परंतु उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना अधिकार अभिलेख में हमारा नाम हटा दिया गया, जिसके लिये पृथक से कार्यवाही की जा रही हैं। जिला कलक्टर ने प्रार्थिया को सुने बिना उक्त आदेश पारित करने में भूल कारित की है तथा इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने खारिज करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश व निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया।

4- उक्त कथनों का विरोध करते हुए विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि मंदिर की भूमि है तथा उक्त भूमि से प्रार्थिया का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंदिरो की भूमि की सुरक्षा व उचित प्रबंधन हेतु नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित समिति को कब्जा दिलाने का आदेश देने में जिला कलक्टर ने कोई भूल नहीं की है। यह आदेश अधिनियम के तहत् अपील योग्य नहीं होने से विधिनुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है तथा विवादित भूमि मंदिर की होने से प्रार्थिया को प्रश्नगत भूमि बाबत् कोई वाद या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अतएव प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाये।

5- उभय पक्षों को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार विवादित भूमि मंदिर श्री जवानस्वरूप बिहारी स्थान देह उदयपुर के नाम दर्ज है। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ द्वारा आदेश कमांक/राजस्व/12-12 (53)05/1132 दिनांक 15-07-2005 के द्वारा मंदिर की उक्त भूमि पर अवैध रूप से काबिज व्यक्तियों का कब्जा हटाकर समिति के अध्यक्ष नायब तहसीलदार भोपालसागर को मौके पर दिलाकर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 27-05-2002 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप प्रबंधन हेतु आदेश प्रदान किये गये। जिला कलक्टर का उक्त आदेश प्रशासनिक आदेश है जिसके विरूद्ध प्रार्थिया ने अधिनियम की धारा-225 के तहत् अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ के समक्ष पेश की। उक्त अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम की धारा-225 की परिधि में नहीं माना पाते हुए अपील को खारिज किया है। पत्रावली पर यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत भूमि उपरोक्त मंदिर की भूमि है। प्रार्थिया के अभिवचनानुसार प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के संबंध में पृथक से कार्यवाही चल रही है, किन्तु प्रार्थिया ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थिया अथवा उनके पूर्वजों का वैध कब्जा काश्त साबित हो। मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा मंदिर की भूमि पर किसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2006 / 1448 / चित्तौड़गढ** **रतन देवी बनाम मंदिर श्री जवान स्वरूपजी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यक्ति को अवैध रूप से कब्जा बनाये रखने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है और यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से काबिज है तो उसके विरूद्ध बेदखली करने का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। हमारे विनम्र मत में जिला कलक्टर द्वारा इस बाबत् समिति गठित करते हुए नायब तहसीलदार को निर्देशित किया है। प्रार्थिया प्रश्नगत भूमि के हक स्वत्व के लिये पृथक से चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु बिना किसी अधिकार स्वामित्व के मंदिर भूमि की सुरक्षा व प्रबंधन हेतु गठित समिति के संदर्भवश पारित आदेश को चुनौती देने का अधिकार प्रार्थिया को निगरानी के स्तर पर प्राप्त नहीं होने से यह निगरानी पोषणीयता के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। 6– परिणामतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अंतर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से खारिज की जाती है। इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (केसर लाल मीणा) सदस्य	